न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर(चू
पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा, आर0ए0एस

ावा संख्या – 18/2015 सीरामाराम आदि बनाम गीता आदि

दिनांक : 09.08.2019

<u>आदेश</u>

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सार यह है कि प्रार्थीगण का खेत खसरा न0 1369/412 तादादी 9 बीघा 17 बिश्वा व खसरा न0 1370/412 तादादी 10 बीघा 4 बिश्वा रोही ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरु का खातेदार है एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का खेत खसरा न0 411 तादादी 20 बीघा 15 बिश्वा के खातेदार वाके रोही पारेवड़ा तहसील बीदासर के है लेकिन प्रार्थीगण जो खसरा न0 1369/412 व 1370/412 के खातेदार एवं काश्तकार है जिसमें जाने हेतु प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि तक आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नही है।

2. प्रार्थीगण खसरा न0 1369/412 व 1370/412 रोही पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरु में जाने हेतु खसरा न0 411 मे से नया रास्ता कायम करने का अनुरोध किया है (रिपोर्ट तहसीलदार बीदासर क्रमांक भू.अ./2015/3643 दिनांक 14.12.2015 व क्रमांक भू.अ./2015/3353 दिनांक 06.11.2015 के अनुसार नक्शे व नजरी नक्शे की प्रति संलग्न है)।

3. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पर विधिवत तामील हो चुकी है उन्होने हाजीर अदालत होकर उक्त रास्ते बाबत असहमती देकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है व जाहीर किया है कि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 06.11.2015 के आधार पर नजरी नक्शें में अंकित मार्ग A+B पर रास्ता होना जाहीर किया है व साथ ही जाहीर किया की हमारे खेत मे से पहले रास्ता था ओर न आज दिन है। हमारे खेत मे से रास्ता कायम किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी नुकसान होगी। अप्रार्थी संख्या 3 न उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार बीदासर चाहे जाने पर जरिये पत्रांक भू.अ./2015/3643 दिनांक 14.12.2015 व क्रमांक भू.अ./2015/3353 दिनांक 06.11.2015 हुई जिसके अनुसार ग्रम पारेवड़ा के खसरा नं. 1369/412 व 1370/412 कि खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा न0 411 मे से चाहा गया है। खसरा न0 411 मे से उतरी पूर्वी सीव के पास पास खेत खसरा न0 1370/412 में 165 फुट लम्बाई व 16.5 फुट चौड़ा रास्ते मौके पर होने की अभिशषा की है इस प्रकार कु 2722.50 वर्ग फुट यानि 2 बिश्वा भूमि रास्ते में आयेगी। भूमि मौके पर बारानी है, जो सड़क से दूर है। ग्र पारेवड़ा की डी.एन.सी/जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई दर 67220 रुपये प्रति बीघा है जिसकी दुगुनी रा 134440 रुपये है के अनुसार 13440 पल्स पेड़ शून्य बराबर 13444 रुपये बनते है संलग्न नक्शे में रास्ता प्रची लाल स्याही से सी से डी दर्शाया गया है कि रिपोर्ट पेश कि है जो निर्णय का भाग रहेगा।

5. तहसीलदार बीदासर कि रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ज आदेश पारित किया जाता है कि

(अ) तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार खेत खसरा न0 411 कि उतरी पू के पास पास खसरा न0 1370/412 मे जाने के लिए 16.5 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा रास्ता किया जाता है व खसरा न0 1369/412 में प्रार्थीगण की सहमति अनुसार प्रवेश करेगा इस अनु में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खसरा न0 411 की रिपोर्ट तहसीलदार बीदासर के अनुसार कुल 2722.50 वर्ग फुट यानि 2 बिश्वा भूमि कम करते हुए रास्ते का पृथक बटा नम्बर नियमानुसार आंवटित किया जावे तथा किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित करते हुए रास्ता का शिवाय चक खाता (रास्ते/पगडडीया आदि) में दर्ज करावे।

(स) प्रार्थीगण से तहसीलदार बीदासर द्वारा डीएलसी/जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई दर से दुगुनी राशि खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को भुगतान जरिये चैक 13444 रुपये का पेश करते है तो रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे व भुगतान राशि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को चैक दिया जावे अन्यथा चैक राशि राजकोष में जमा की जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जब चाहे प्राप्त कर लेवे।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर